हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

कार्यसूची

बारहवां सत्र

वीरवार, 27 अगस्त, 2026/05 भाद्रपद, 1948(शक्)

11:00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

    (1) तारांकित :

(i) स्थगित	}	पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।
(ii) दिन के लिए		

    (2) अतारांकित :

(i) स्थगित	}	पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे।
(ii) दिन के लिए		

2. शून्यकाल:

3. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएगें:

    (1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

    (i) कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 395 तथा नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम लिमिटेड का 17वाँ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2024-25 (विलम्ब के कारणों सहित); और

    (ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 395 तथा नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित)।

4. सदन की समितियों के प्रतिवेदन:

(1) **श्री अनिल शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2026-27),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(1) समिति का **173वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) पर बने समिति के **31वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त **"अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण"** पर आधारित तथा **उद्योग विभाग** से सम्बन्धित है;

(2) समिति का **251वां मूल प्रतिवेदन** (अष्टम् विधान सभा) पर बने समिति के **343वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (अष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त **"अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण"** पर आधारित तथा **उद्योग विभाग** से सम्बन्धित है;

(3) समिति का **74वां मूल प्रतिवेदन** (अष्टम् विधान सभा) पर बने समिति के **337वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (अष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त **"अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण"** पर आधारित तथा **लोक निर्माण विभाग** से सम्बन्धित है; और

(4) समिति का **102वां मूल प्रतिवेदन** (नवम् विधान सभा) पर बने समिति के **40वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त **"अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण"** पर आधारित तथा **लोक निर्माण विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) **श्री किशोरी लाल, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2026-27),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(1) समिति का **81वाँ मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) पर बने समिति के 46वें कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2021-22) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **"अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण"** तथा **हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित** से सम्बन्धित है; और

(2) समिति का **षष्टम् मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2023-24) पर बने समिति के **27वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2025-26) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **"अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण"** तथा **हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम सीमित** से सम्बन्धित है।

(3) श्री मोहन लाल ब्राक्टा, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2026-27), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(1) समिति का **51वाँ प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **जनजातीय विकास विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(2) समिति का **52वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि हि0 प्र0 बाल अधिकार संरक्षण आयोग की संवीक्षा पर आधारित समिति के **28वें मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2024-25) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित तथा **महिला एवं बाल विकास विभाग** से सम्बन्धित है।

(4) श्री आशीष बुटेल, सभापति, जन प्रशासन समिति, (वर्ष 2026-27), समिति का **20वां मूल प्रतिवेदन** जोकि **पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

(5) श्री केवल सिंह पठानिया, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2026-27), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(1) समिति का **22वाँ मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(2) समिति का **अग्रेत्तर कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **मांग संख्या: 26-पर्यटन और नागर विमानन विभाग** की वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है।

5. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

(1) **श्री हरदीप सिंह बावा,** "शिवालिक सॉलिड वेस्ट मेंनेजमेंट प्लांट के संचालन और लीज अवधि के विस्तारीकरण से उत्पन्न स्थिति पर सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे।"

(2) **श्री सतपाल सिंह सत्ती,** "लोक निर्माण विभाग में विद्युत कार्यों के ठेके इलैक्ट्रिकल ठेकेदारों को न मिलने तथा इलैक्ट्रिकल विंग को सिविल विंग में समाहित करने से उत्पन्न स्थिति पर सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे।"

6. विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन:

कार्य-सलाहकार समिति का 17वाँ प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया जाएगा तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया जाएगा।

7. गैर-सरकारी सदस्य कार्य:

"संकल्प"

(गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूची संलग्न है)

शिमला-171004 **(यशपाल शर्मा)**
दिनांक: 26 अगस्त, 2026 **सचिव।**

******

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

गैर-सरकारी सदस्य कार्य

'सकंल्प'

बारहवां सत्र

वीरवार, दिनांक 27 अगस्त, 2026 को चर्चा हेतु लिए जाने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूची :

1. दिनांक 31 मार्च, 2026 को प्रस्तुत संकल्प पर आगे चर्चा जारी रहेगी।	
सदस्य का नाम	**उद्धरण**
डॉ0 जनक राज	यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि "प्रदेश में निर्माणाधीन तथा संचालित जल विद्युत परियोजनाओं के सामाजिक एवं पर्यावरण प्रभावों जैसी समस्याओं पर प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कदम उठाने पर विचार करें।"

2. नियम-101 के अन्तर्गत गैर-सरकारी सदस्य दिवस हेतु स्वीकृत संकल्प		
क्र सं	**सदस्य का नाम**	**उद्धरण**
(i)	**श्री बिक्रम सिंह**	यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि "प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश की भौगोलिक दृष्टि के मध्यनजर पात्र लाभार्थियों को मकान निर्माण हेतु अधिक लागत अनुरूप वित्तीय सहायता प्रदान करने की नीति बनाने पर विचार करें।"
(ii)	**श्री कुलदीप सिंह राठौर**	यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि "बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग को नियंत्रित एवं सुरक्षित करने की नीति बनाने पर विचार करें।"
(iii)	**श्री सुख राम चौधरी** **श्री केवल सिंह पठानिया**	यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि "बेसहारा पशुओं के सड़कों पर आवागमन रोकने तथा गौशालाओं में रखने की नीति बनाने पर विचार करें।"
(iv)	**श्री जीत राम कटवाल**	यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि "प्रदेश में अवैध खनन रोकने तथा दुष्प्रभावों के निस्तारण करने की कारगर नीति बनाने पर विचार करें।"

सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

****